न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 137 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/147)
पंजीयन दिनांक– 04.03.2021
निर्णय दिनांक– 28.09.2021

1. श्रीमती अणछी पत्नि डालचंद जाट, निवासी ग्राम मुंगाणा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती उदी पत्नि रामेश्वर जाट, निवासी ग्राम मुंगाणा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री नारायण पिता किशोर जाट तथाकथित गोद पुत्र श्री वेणीराम जाट, निवासी मुंगाणा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती सोहनी पुत्री वेणीराम जाट पत्नि किशोर जाट, मृतक के बजायः–

1. **श्री किशोर पिता रामलाल जाट, निवासी जेलवाणा का खेडा, ग्राम पंचायत बालाडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।**
2. **श्री कैलाश पिता किशोर जाट, निवासी निवासी जेलवाणा का खेडा, ग्राम पंचायत बालाडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।**
3. **श्री नारायण लाल पिता किशोर जाट, निवासी निवासी जेलवाणा का खेडा, ग्राम पंचायत बालाडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।**
4. **श्री भगवान लाल पिता किशोर जाट, निवासी निवासी जेलवाणा का खेडा, ग्राम पंचायत बालाडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।**

3. ग्राम पंचायत मुंगाणा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, मुंगाणा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः—

1. श्री रोशनलाल जैन — अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुनिल दत्त शर्मा — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 2/1 से 2/4

अपील अन्तर्गत धारा—76 भू—राजस्व अधिनियम
1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर,
कपासन के प्ररकण संख्या 10/2013 निर्णय दिनांक 03.06.2016

निर्णय

दिनांक 28.09.2021

अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, कपासन के प्रकरण संख्या 10/2013 निर्णय दिनांक 03.06.2016 के विरूद्ध दिनांक 12.03.2018 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449—50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 04.03.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलांट द्वारा अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामांतरण संख्या 1110 दिनांक 06.02.2012 ग्राम पंचायत मुंगाणा के तहत पेश कर निवेदन किया कि मृतक वेणीराम जाट के नाम मुंगाणा के कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसको मृतक द्वारा मुझ रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलांट के अपने जीवनकाल में दिनांक 05.08.2010 को गोदनामा निष्पादित करवा कर गोद लिया था जिसके पंजीयक को वह 10 वर्ष का था तभी निष्पादित करवा लिया गया तब से ही रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलांट मृतक वेणीराम के पास ही रहता चला आ रहा है। मृतक वेणीराम के सामाजिक काज—करियावर मेरे द्वारा

गोद पुत्र की हैसियत से किये गये तथा अंतिम संस्कार भी मेरे द्वारा किया गया है। मृतक वेणीराम की आराजीयात में उस समय से ही काबिज चला आ रहा है। ग्राम पंचायत मुंगाणा द्वारा बिना रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलांट को बताये अपीलांट/रेस्पोडेंट के नाम इंतकाल खोले जाकर निर्णित किये गये है, जो अवैधानिक है। रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलांट द्वारा अपीलांट/रेस्पोडेंट के जब भी सामाजिक कार्यक्रम हुए है, कपडे मायरा आदि भाई की हैसियत पहनाया जाकर सामाजिक कृतव्यों का निर्वहन किया गया है। तत्समय के पटवारी द्वारा द्वारा वारिसान की पुरी जानकारी नही होकर दिनांक 02.02.2012 को इंतकाल खोल दिया गया तथा पंचायत में दिनांक 06.02.2012 को स्वीकृत करवा लिया गया। इस इंतकाल को पंचायत की कौरम में नही रखा गया तथा अकेले सरपंच द्वारा निष्पादित किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने प्रकरण संख्या 10/2013 निर्णय दिनांक 03.06.2016 से रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलांट की अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाने से जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 03.06.2016 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया हैः–*"अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार, कपासन के पास इस बिन्दु पर पुनः विचार हेतु भिजवाई जाती है कि गोदनामा दिनांक 05.08.2010 के प्रकाश में नये सिरे से विचार कर पक्ष–प्रतिपक्ष के बारे में निर्णय किया जाकर पुनः जांच के आधार पर नामांतरकरण खोला जावें। नामांतरकरण संख्या 1110/2012 दिनांक 06.02.2012 निरस्त किया जाता है। "*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया

गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल जैन उपस्थित तथा रेस्पोडेंट्स संख्या 1, 2/1 से 2/4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल दत्त शर्मा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 21.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पिता वेणीराम ने नारायण को गोद नही रखा और वेणीराम मृत्यु से कई वर्ष पूर्व बीमार थे जिन्हें कुछ भी होश हवास नहीं था। इसी बीच रेस्पोडेंट नारायण पिता किशोर ने वेणीराम से अपने नाम एक गोदनामा लिखाया। जो पूर्णतया कानून के प्रावधानों के विपरीत होकर अवैध है, गोद की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई। किशोर रेस्पोडेंट संख्या 2 सोहनी का पुत्र है सोहनी व उसके पति ने वेणीराम को धोखे में रखकर गोदनामा रजिस्टर्ड करवाया जो पूर्णतया अवैध है जिसकी कानूनन कोई मान्यता नहीं है। अपीलांट को उक्त गोदनामें की जानकारी हुई तो उसने पंचायत बुलाई तब सोहनी ने स्वीकार किया कि गोदनामा मैं निरस्त करा दुंगी, परंतु निरस्त नही कराया। उसके बाद चुपचाप अपीलांट्स के पक्ष में खोले गये नामांतरण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में झुठी अपील पेश कर दी। जब नारायण का गोदनामा ही अवैध होकर शून्य है तो उसके पक्ष में नामांतरकरण खोले जाने का प्रश्न ही नही उठता। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो निश्चित रूप से अपीलांट्स की ओर से प्रभावी पैरवी की जाती जिसका उन्हें अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा तथाकथित गोदनामें के आधार पर जिला न्यायाधीन, चित्तौड़गढ़ में एक संपति के बटवाडे का वाद पेश किया जो कालांतर में वास्ते सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ क्रम संख्या 3 की अदालत में स्थानांतरित होकर निर्णय दिनांक 19.12.2016 से वाद अस्वीकार किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि नारायणलाल ने गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है एवं न्यायालय ने गलत तथ्यों के आधार पर अपील का निस्तारण

कराया जो पूर्णतया कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अतः उक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किय गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 2/1 से 2/4 ने अपनी बहस में बताया कि मृतक वेणीराम जाट के नाम मुंगाणा के कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसको मृतक द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के अपने जीवनकाल में दिनांक 05.08.2010 को गोदनामा निष्पादित करवा कर गोद लिया था जिसके पंजीयन को वह 10 वर्ष का था तभी निष्पादित करवा लिया गया तब से ही रेस्पोडेंट संख्या 1 मृतक वेणीराम के पास ही रहता चला आ रहा है। मृतक वेणीराम के सामाजिक काज–करियावर रेस्पोडेंट द्वारा गोद पुत्र की हैसियत से किये गये तथा अंतिम संस्कार भी रेस्पोडेंट द्वारा किया गया है। मृतक वेणीराम की आराजीयात में उस समय से ही काबिज चला आ रहा है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के जब भी सामाजिक कार्यक्रम हुए है, कपडे मायरा आदि भाई की हैसियत पहनाया जाकर सामाजिक कृतव्यों का निर्वहन किया गया है तथा साथ ही बतया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील 1 वर्ष 9 माह 6 दिन बाद मयाद के बाहर पेश की गई है, इसका कोई युक्तियुक्त कारण धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नही किया गया है। उक्त अपील के निर्णय का ज्ञान अपीलांट्स व उनके अधिवक्ता को था, फिर भी जान बुझकर इतनी देरी से अपील पेश की है, जो मयाद के आधार पर खारिज होने योग्य है। इस आधार पर अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.06.2016 को किया गया जिसकी अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.03.2018 को प्रस्तुत हुई है। अपीलाण्ट द्वारा दफा 5 जाप्ता मयाद का आवेदन पेश कर निवेदन किया गया कि दोनों महिलाएं अनपढ़ है जिन्होंने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया परन्तु उसके द्वारा अपीलाण्ट से कोई सम्पर्क नहीं किया, न ही अपीलाण्ट को इस बारे में कोई सूचना दी।

ताईद में शपथ–पत्र भी दिया है। इसके खण्डन में वकील रेस्पोंडेण्ट द्वारा भी जबाब देते हुए निवेदन किया कि अपील करीब एक वर्ष 9 माह 6 दिन बाद प्रस्तुत हुई है। उपखण्ड अधिकारी के यहां अपीलाण्ट अणछी व उदीबाई की ओर से अधिवक्ता किशन जाट ने पैरवी की थी अतएवं उचित व पर्याप्त कारण नहीं होने से मयाद बाहर होने से अपील खारिज की जावें। हमने पत्रावली का रेकर्ड देखा तथा आवेदन के तथ्यों व बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में निसन्देह विलम्ब हुआ है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.05.2016 के अनुसार प्रकरण दिनांक 09.08.2016 को जबाब एवं तलबी में नियत था। इसके स्थान पर दिनांक 03.06.2016 की तिथि तय कर न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी अपीलाण्ट को होना एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर, न्यायहित व गुणावगुण पर निर्णय के दृष्टिकोण से हम मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते हैं।

प्रकरण में अब हम गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। इससे पूर्व हम प्रकरण के तथ्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 नारायण द्वारा ग्राम पंचायत के नामान्तकरण संख्या 1110 निर्णय दिनांक 06.02.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी। विवाद का विषय यह है कि वेणीराम के तीन पुत्रियां क्रमशः अपीलाण्ट अणछी, उदीबाई एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 सोहनी है। ग्राम पंचायत द्वारा वेणीराम की मृत्यु के बाद उसकी तीनों पुत्रियों के नाम नामान्तकरण संख्या 1110 दर्ज कर दिनांक 06.02.2012 को ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया, जिसकी अपील नारायण जो कि वेणीराम का दोहिता होकर रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 सोहनी का पुत्र है, उसने वेणीराम के पंजीकृत गोदनामा दिनांक 05.08.2010 के आधार पर अपना भी गोद पुत्र के नाते विरासती हक होने की प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय में पेश की। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.06.2016 से यह वर्णित किया कि पंचायत द्वारा अपीलाण्ट के गोद जाने के तथ्यों के पूर्व निर्णय किया है इसलिए ग्राम पंचायत नामान्तकरण संख्या 1110 दिनांक 06.02.2012 अपास्त कर गोदनामे के प्रकाश में पुनः निर्णय करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से रूष्ठ होकर मृतक वेणीराम की दो पुत्रियां अणछी व उदी अपीलाण्ट द्वारा उनकी तिसरी बहन सोहनी व उसके पुत्र नारायण जो कि वेणीराम का पंजीकृत गोदनामे से गोद पुत्र होने के दस्तावेज के साथ प्रस्तुत हुआ है, के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अपील में आधार यह लिये हैं कि अपीलाण्ट के पिता वेणीराम जी ने नारायण को गोद नहीं रखा व वेणीराम जी मृत्यु से कई वर्ष पूर्व से बीमार थे। नारायण ने वेणीराम जी से अपने नाम का एक गोदनामा लिखाया जो पूर्णतया कानून के प्रावधानों के विपरीत होकर अवैध है। किशोर सोहनी का पुत्र है तथा धोखे से गोदनामा रजिस्टर्ड करवाया गया है। अपीलाण्ट ने गांव में पंचायत इकट्ठी की तब सोहनी ने यह स्वीकार किया कि गोदनामा मैं निरस्त करा दूंगी परन्तु निरस्त नहीं कराया। गोदनामा अवैध व शून्य है। गोदनामे के आधार पर जिला न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ में वेणीराम जी की सम्पत्ति का वाद नं0 90/2013 प्रस्तुत हुआ जिसमें अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ ने वाद स्वीकार किया तथा वाद में तनकी के आधार पर निर्णय वादी के विरूद्ध हुआ। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिविरूद्ध है।

प्रकरण में हम यह पाते हैं कि अपीलाण्ट द्वारा अपील में जो आधार लिये है तथा जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं, उसमें उसका मूल आधार यह है कि गोदनामा विधिविरूद्ध है। हमारा प्रेक्षण यह है कि गोदनामा पंजीकृत है तथा उसे जब तक किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा दिया जाता तब तक उसकी वैधानिकता पर राजस्व न्यायालय कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। अर्थात् नारायण का पंजीकृत गोदनामा, गोदपुत्र होने के तथ्यों का कोई खण्डन

उपलब्ध नहीं है। जहां तक सिविल न्यायालय में वाद का प्रश्न है, हम यह पाते हैं कि सिविल न्यायालय में पक्षकारों के मध्य जो वाद नारायण द्वारा किया गया था वह वाद मूलतः विभाजन मकान व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद था जिसमें निम्न दो तनकियां विरचित की गयी थी –

1. **आया वादी नारायण, वेणीराम का गोदपुत्र होने व सोहनीबाई वेणीराम की पुत्री होने से तथा वसीयत के आधार पर वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित मकान व बाड़े में अपने हक व हिस्से 3/5 का विभाजन कराने के अधिकारी है ?**

.....वादीगण

2. **आया वेणीराम द्वारा निष्पादित गोदनामा दिनांक 05.08.2010 तथा वसीयत दिनांक 05.08.2010 फर्जी एवं बनावटी है ?**

.....प्रतिवादीगण

प्रथम तनकी का निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा वादी नारायण के विरूद्ध इस आधार पर किया गया कि विवादित सम्पत्ति के अस्तित्व को ही वादी नारायण प्रमाणित नहीं कर पाया, तद्नुसार सिविल न्यायालय द्वारा गोदपुत्र होने या न होने के तथ्यों पर कोई निर्णय नहीं दिया है अपितु सम्पत्ति को अस्तित्व में नहीं होने के आधार पर उक्त तनकी को वादी नारायण के विरूद्ध तय किया है। जहां तक तनकी संख्या 2 का प्रश्न है कि वेणीराम द्वारा निष्पादित गोदनामा दिनांक 05.08.2010 व वसीयत दिनांक 05.08.2010 फर्जी एवं बनावटी है, इसको सिद्ध करने का भार सिविल न्यायालय के प्रतिवादी व इस न्यायालय के अपीलाण्ट पर था। यह तनकी अपीलाण्ट (सिविल न्यायालय के प्रतिवादी) के विरूद्ध तय हुई है, अर्थात् सिविल न्यायालय से गोदनामा निरस्त करने का कोई तथ्य प्रमाणित नहीं है। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षों की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है परन्तु तात्विक रूप से पंजीकृत गोदनामे को दृष्टिगत रखते हुए सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर

देकर निर्णय पारित करने का जो निर्णय पारित किया है, उसमें सारभूत रूप से कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि नारायण के पक्ष में जब पंजीकृत गोदनामा विद्यमान है तो ऐसी स्थिति में वेणीराम की विरासत में उसकी तीनों पुत्रियों के साथ नारायण जो कि पंजीकृत गोदनामे से गोदपुत्र है, उसके गोदनामे के प्रकाश में पंचायत द्वारा सिर्फ पुत्रियों के नाम नामान्तकरण किये जाने को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपास्त कर उभय पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करने का जो निर्णय पारित किया है, उसमें हम सारभूत रूप से एवं तथ्यात्मक व विधिक रूप से कोई त्रुटि नहीं पाते, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर